न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 27/21 जी.सी.एम.एस. 2021/00068 दिनांक 07.04.2021

1. बजरंगलाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
2. रमेशचंद पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
3. दुर्गालाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
4. बद्रीलाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
5. कैलाशचन्द्र पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
6. प्रेमबाई पत्नि स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर समस्त निवासीगण मोरूखुर्द तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी—

बनाम

1. पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासीग्राम मोरूखुर्द तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.बाबत घोषणा खातेदारी

उपस्थित —

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया
प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गौचर।
प्रतिवादी 02 राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माल ग्राम किशोरसागर पटवार हल्का मोरूकला में जमाब़ंदी सम्वत् 2073—78 खाता संख्या 66 खसरा नबंर 942 की 2.43 है0, आराजी स्थित है। तथा माल ग्राम मोरूखुर्द पटवार ह़ल्का मोरूकला में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 में खाता संख्या 41 के खसरा नबंर 83 की रकबा 0.04 है0, व खसरा नबंर 84 की रकबा 0.24 है0, कुल 02 किता की कुल ऱकबा 0.28 है0, आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता रामनारायण जी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादनी 01 का पुष्पाबाई का 1/3 हिस्सा निहित था, रामनारायण व पुष्पाबाई दोनों सगे भाई—बहन थे तथा एक ही माता पिता के संतान थे, दोनों में काफी प्रेम व स्नेह होने से पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल प्रतिवादी नबंर 01 ने उपरोक्त दोनों ग्रामों में स्थित आराजी में निहित पुष्पाबाई का सम्पूर्ण हिस्सा जर्ये रिलीज डीड दिनांक 01.07.2009 को अपने भाई रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल के हक में निष्पादित कर पंजीयन करा दिया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय कनवास में दिनांक 01.07.2009 को बुक नबंर 01 में जिल्द संख्या 52 क्रम संख्या 859 पृष्ठ संख्या 142 पर हो रहा है। रामनाराय़ण ने पंजीयन होने के बाद दस्तावेज प्राप्त कर कानूनी जानकारी के अभाव में नामान्तरण दर्ज नहीं कराया तथा रीलीज डीड को घर पर बक्से में ही रख दिया,

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रामनारायण जी का स्वर्गवास दिनांक 08.05.2018 को हो गया, उनकी मृत्यु बाद उक्त रिलीज डीड जब वादीगण को मिली तो पता चला की उक्त रीलीज डीड का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है, वादीगण पटवारी के पास गये तो उन्होनें इन्कार कर दिया, तहसीलदार साहब द्वारा भी अधिक समय होने के कारण न्यायालय में दावा करने के निर्देश दिये गये इसलिये यह दावा प्रस्तुत किया गया। तथा निवेदन किया कि उक्त रीलीज डीड के आधार पर पुष्पाबाई के 1/3 हिस्से के इन्तकाल रामनारायण के स्वर्गवास हो जाने से वादीगण के नाम दर्ज किये जावे। तथा पुष्पाबाई के 1/3 हिस्से पर वादीगण को खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गौचर द्वारा दिनांक 30.03.2021 को वकालत नामा मय इकबालिय जवाब दावा पेश किया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया व प्रतिवादी नबंर 02 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 30.03.21 को पत्रावली की आदेशिका पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति जाहिर न की गई । ऐसी स्थिति में वाद पत्र में तनकीयात बनाने की आवश्यकता नहीं होने से बहस वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब दावा , नकल जमाबंदी, व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे हम वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

<u>आदेश</u>

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम किशोरसागर पटवार हल्का मोरूकला में जमाबंदी सम्वत् 2073–78 खाता संख्या 66 खसरा नबंर 942 की 2.43 है0, आराजी में पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मोरूखुर्द के 1/3 हिस्से पर वादीगण बजरंगलाल, रमेशचंद, दुर्गालाल, बद्रीलाल, कैलाशचंद, प्रेमबाई को खातेदार घोषित किया जाता है, तथा इसी प्रकार ग्राम ग्राम मोरूखुर्द पटवार हल्का मोरूकला में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 में खाता संख्या 41 के खसरा नबंर 83 की रकबा 0.04 है0, व खसरा नबंर 84 की रकबा 0.24 है0, कुल 02 किता की कुल रकबा 0.28 है0, आराजी में प्रतिवादी पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मोरूखुर्द के 1/3 हिस्से पर वादीगण बजरंगलाल, रमेशचंद, दुर्गालाल, बद्रीलाल, कैलाशचंद, प्रेमबाई को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोरूखुर्द व किशोरसागर की उपरोक्त आराजी में से पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मोरूकला का नाम हटाया जावे तथा उसके 1/3 हिस्से पर वादीगण बजरंगलाल, रमेशचंद, दुर्गालाल, बद्रीलाल, कैलाशचंद पुत्रान रामनारायण गुर्जर व प्रेमबाई पत्नि स्व0 रामनारायण गुर्जर निवासी मोरूखुर्द का नाम सम्भाग में दर्ज किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डाबी (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अंतिम डिक्री वमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय व इजलास राजेश डागा **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

मु.नं. 27/21 जी.सी.एम.एस. 2021/00068 दिनांक 07.04.2021

उनवान

1. बजरंगलाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
2. रमेशचंद पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
3. दुर्गालाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
4. बद्रीलाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
5. कैलाशचन्द्र पुत्र स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर।
6. प्रेमबाई पत्नि स्व0 रामनारायण जाति गुर्जर समस्त निवासीगण मोरूखुर्द तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

1. पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासीग्राम मोरूखुर्द तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया

प्रतिवादी नंबर 01 की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गौचर।

प्रतिवादी 02 राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.बाबत घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं. 27/21 सन् 2021 तारीख फैसला 07.04.2021 **न्यायालय व इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी 01 की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गौचर तथा प्रतिवादी 02 **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम किशोरसागर पटवार हल्का मोरूकला में जमाबंदी सम्वत् 2073–78 खाता संख्या 66 खसरा नंबर 942 की 2.43 है0, आराजी में पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मोरूखुर्द के 1/3 हिस्से पर वादीगण बजरंगलाल, रमेशचंद, दुर्गालाल, बद्रीलाल, कैलाशचंद, प्रेमबाई को खातेदार घोषित किया जाता है, तथा इसी प्रकार ग्राम ग्राम मोरूखुर्द पटवार हल्का मोरूकला में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 में खाता संख्या 41 के खसरा नंबर 83 की रकबा 0.04 है0, व खसरा नंबर 84 की रकबा 0.24 है0, कुल 02 किता की कुल रकबा 0.28 है0,

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आराजी में प्रतिवादी पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मोरूखुर्द के 1/3 हिस्से पर वादीगण बजरंगलाल, रमेशचंद, दुर्गालाल, बद्रीलाल, कैलाशचंद, प्रेमबाई को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोरूखुर्द व किशोरसागर की उपरोक्त आराजी में से पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मोरूकला का नाम हटाया जावे तथा उसके 1/3 हिस्से पर वादीगण बजरंगलाल, रमेशचंद, दुर्गालाल, बद्रीलाल, कैलाशचंद पुत्रान रामनारायण गुर्जर व प्रेमबाई पत्नि स्व0 रामनारायण गुर्जर निवासी मोरूखुर्द का नाम सम्भाग में दर्ज किया जावे। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **07.04.2021** माह **अप्रेल** **2021** को जारी की गई।

मोहर ....

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (कोटा))

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

बाबत मुद्दई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ""	--------NIL--------		स्टाम्प वकालतनामा ""	--------NIL--------	
स्टाम्प वकालतनामा ""			स्टाम्प अर्जी ""		
स्टाम्प वजह सबूत ""			महनताना वकील ""		
महनताना वकील ""			खर्चा गवाहान ""		
खर्चा गवाहान ""			फीस कमिश्नर ""		
फीस कमिश्नर ""			बाबत इजराय हुकमनामा ""		
बाबत इजराय हुकमनामा ""			मुतफर्रिक ""		
मुतफर्रिक ""			मीजान ""		
मीजान ""					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)